8/8/17 पत्रावली पेश। अप्रार्थी वकील द्वारा धारा 151 CPC के तहत व जवाब लिया गया। बहस में भाग लिया जाकर अप्रार्थी वकील द्वारा कथन 151 प्रार्थनापत्र इस स्थिति में व स्टेज में Maintainable नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का कथन है कि वह प्रार्थी की प्रार्थना वास्ते खसरा नं. 70 में खरीद शुदा भूखण्डों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से सहमत है। पत्रावली के अवलोकन पश्चात प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस स्टेज पर धारा 151 CPC का खारिज किया जाता है। पत्रावली बास्ते पर अप्रार्थी वकील द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर भी बहस की गई। पत्रावली वास्ते आदेश 25/8/17 को पेश हो।

25/8/17 पत्रावली पेश। पत्रावली पर प्रार्थी व अप्रार्थी गण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर बहस की जा चुकी है। प्रार्थी की प्रार्थना है कि वाद के

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)

Scanned by CamScanner

रखे तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि खसरा न. 70 रकबा 8.07 बीघा मौजा गो नगर योजना बनाड़ जोधपुर में प्रार्थीगणो के खरीदसुदा भूखण्डो पर व कब्जा शुदा भूखण्डो से विधिविरुद्ध तरीके से बेदखल न किया जावे व भूखण्डो का निर्माण, बेचान व हस्तांतरण न करे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणो के बेचान की रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रतियॉ एवं अप्रार्थीगण के बेचान के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रतिलिपियॉ पेश की। समस्त दस्तावेजात के अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनो ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी विवादित भूमि के सहखातेदार है एवं प्रार्थी की प्रार्थना से अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
जोधपुर

विवादित भूमि मे दोनो ही पक्षकारान के हित प्रभावित है

अतः प्रार्थी की प्रार्थना को इस आधार पर स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो खसरा नं. 70 रकबा 8.07 बीघा में से मौजा गणेश नगर योजना बनाड़ में प्रार्थीगण द्वारा खरीदसुदा व कब्जासुदा भूखण्डो पर किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, बाधा, रूकावट न करें व जबरन प्रार्थीगण को उनके खरीद सुदा भूखण्डो से बेदखल नहीं करें एवं प्रार्थीगण के खरीदसुदा कब्जाशुदा भूखण्डो को विशिष्ट भू-भाग दर्शाकर आगे बेचान नहीं करें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को तारीख़ तला मूलवाद पाबंद किया जाता है पत्रावली शुमार फैसल हो कर नम्बर से कम होकर शामिल मूल

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)	[illegible]वली के साथ नत्थी हो।
	सहायक क[illegible]पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर